

नरेगा के विरुद्ध दांव पेंच

भारत की नरेन्द्र मोदी सरकार ने नरेगा नीति में कुछ संशोधन की योजना बनाई है। दूसरी ओर भारत तथा पश्चिम के अठाइस अर्थ शास्त्रियों ने भारत सरकार के इस नये सुझाव को श्रम विरोधी बताकर उसके विरुद्ध विचार व्यक्त किया है। भारत सरकार इस योजना में दो संशोधन करना चाहती है।

1 इस योजना का कार्यक्षेत्र घटाकर देश के दो सौ पिछड़े जिलों तक सीमित करना ।

2 योजना में श्रम और निर्मित वस्तु के वर्तमान अनुपात साठ चालीस को बदलकर इक्यावन उन्चास करना।

मैं उस दिन से ही इस योजना का भरपूर प्रशंसक रहा जब सन दो हजार पांच में यह योजना शुरू हुई । मैंने इस संबंध में पूर्व में भी कई लेख लिखे। मेरा स्पष्ट मानना रहा है कि नरेगा श्रमजीवियों के हित में सरकार द्वारा किया गया पहला सफल प्रयास रहा। इस योजना को शुरू करने का सर्वाधिक दबाव वामपंथियों का रहा । वे नहीं समझते थे कि भारत सरकार इसे मान लेगी और जब सरकार ने इसे मानकर लागू किया तो वामपंथियों को भारी अफसोस हुआ। वामपंथियों ने समय समय पर इस योजना के महत्व को कम करने के अनेक प्रयास किये जिनमें आंशिक रूप से वे सफल भी रहे। दूसरी ओर विकसित प्रदेशों के बड़े किसानों ने भी इस योजना के विरुद्ध प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष लाबिंग की। तीसरी ओर वामपंथियों तथा विकसित प्रदेशों के बड़े किसानों के कष्ट से प्रभावित अनेक सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने भी इस योजना का स्वरूप बदलने का भरसक प्रयास भी किया तथा सफल भी रहे। अब नरेन्द्र मोदी सरकार इसमें कुछ व्यावहारिक संशोधन करना चाहती है तो अर्थ शास्त्रियों की जमात उन विकसित किसानों के पक्ष में आकर खड़ी हो गई है। जिन अठाइस लोगों ने मिलकर यह पत्र लिखा है उनमें से एक भी ऐसा नहीं जिसे समाज शास्त्र का कोई ज्ञान हो अथवा ग्रामीण अर्थ व्यवस्था का कुछ पता हो । कुछ पश्चिमी अर्थ शास्त्र की किताबें पढ़कर वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था से बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेना ही उनकी विशेष योग्यता है उन्हें यह भी पता है कि इसके पूर्व ही ऐसे ही अनेक न्यायाधिपति की डिग्री धारी लोगों ने पत्र लिखकर मनमोहन सरकार से संशोधन कराने में सफलता पा ली थी।

जबसे यह योजना लागू की गई तभी से इसके विरुद्ध लगातार षणयंत्र हुए। कुछ प्रत्यक्ष षणयंत्र थे तो कुछ परोक्ष। मेरे विचार में स्वतंत्रता के बाद यह पहली योजना थी जो पूरी तरह निष्कपट तथा प्रभावोत्पादक थी। इसकी एक विशेषता रही कि यह परिवार व्यवस्था को मान्यता देती थी क्योंकि योजनानुसार परिवार के एक सदस्य को एक सौ दिन के काम की गारंटी दी गई थी। दूसरी विशेषता थी कि इसमें ग्रामीण रोजगार गारंटी देकर शहरी आबादी को बाहर रखा गया था। तीसरी विशेषता यह थी कि इसका श्रम मूल्य अविकसित क्षेत्रों के वास्तविक श्रम मूल्य के समकक्ष ही रखा गया था जिससे वर्ष के आधे से अधिक दिनों में ऐसे श्रमिक योजना पर बोझ न बने तथा वे वर्ष में करीब सौ दिन ही योजना पर आश्रित हो। चौथी विशेषता यह थी कि इस योजना में आदिवासी गैर आदिवासी या महिला पुरुष का भेद न करके समान रूप से लागू की गई।

इस योजना से अविकसित प्रदेशों के श्रमिकों का पलायन रुका। विकसित क्षेत्रों के किसानों का उत्पादन प्रभावित होना शुरू हुआ जिस कारण उन्हें या तो स्वयं श्रम करना पड़ा अथवा मजदूरी बढ़ानी पड़ी। दोनों ही कारणों से उनका लाभ प्रभावित हुआ। इस योजना के प्रभाव से अविकसित क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ा तथा विकसित अविकसित के बीच का अंतर घटा। योजना का प्रत्यक्ष विरोध करने वालों की सरकार ने एक न सुनी किन्तु योजना के विरुद्ध अप्रत्यक्ष षणयंत्रकारी लगातार सफल होते गये। भारत की न्यायपालिका भी ऐसे अप्रत्यक्ष प्रचार से प्रभावित दिखी।

सबसे बड़ी बात यह थी कि प्रारंभ में नरेगा के लिये दैनिक श्रम मूल्य साठ रूपया था। उस समय अर्थात् दो हजार छ में अविकसित प्रदेशों का श्रम मूल्य पचास से लेकर साठ के बीच ही था। इसका अर्थ यह हुआ कि योजना पर बेरोजगारों का अनावश्यक बोझ नहीं था। स्वाभाविक था कि मुद्रा स्फीति के आधार पर श्रम मूल्य बढ़कर एक सौ पचास के आसपास होता। सच बात यह भी है कि जिन क्षेत्रों में दो हजार पांच में श्रम मूल्य पचास से साठ था वहां अब श्रम मूल्य एक सौ बीस से एक सौ चालीस ही है। किन्तु नरेगा की योजना को असफल करने वालों ने नरेगा का श्रम मूल्य ज्यादा बढ़ा दिया तथा उसे उन क्षेत्रों में भी लागू करवा दिया जहां पहले से ही श्रम मूल्य ज्यादा था। वर्तमान में जिन क्षेत्रों में स्वाभाविक श्रम मूल्य दो सौ से उपर है वहां केन्द्र सरकार को अविकसित क्षेत्रों से कटौती करके नरेगा क्यो चालू करना चाहिये। शहरों में भी नरेगा लागू करने का भरपूर दबाव पड़ा जबकि यह योजना सिद्धान्त रूप से गांव की सीमा तक के लिये थी । दबाव डालने वाले एक ओर तो श्रम मूल्य बढ़वाने तक दबाव डालते थे तो दूसरी ओर शिक्षा का बजट भी बढ़ाने का दबाव बनाते रहते थे। तीसरी ओर यह बात भी रही कि यही दबाव डालने वाले किसी नये कर के विरुद्ध भी दबाव बनाते रहते थे। परिणाम यह हुआ कि केन्द्र सरकार पर बोझ बढ़ा। दो हजार पांच में यह योजना ग्यारह हजार करोड की थी। मुद्रा स्फीति के आधार पर योजना को अठाइस हजार करोड का होना चाहिये था किन्तु हो गई चालीस हजार करोड से उपर।

नरेगा की योजना को भटकाने में वामपंथियों पूंजीपतियों बुद्धिजीवियों का तो हाथ रहा ही किन्तु न्यायपालिका भी भटक गई। न्यायपालिका ने भटकाने वाले प्रयत्नों को जनहित मानने की भूल करके इसका आकार बढ़ाने का ही काम किया। योजना को पटरी से उतारने वाले लगातार यह प्रचार करते थे कि इस योजना के दुष्प्रभाव से हरियाणा पंजाब का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। भारत सरकार की एक कमेटी ने भी यही नतीजा निकाला था। दूसरी ओर यही लोग लगातार यह प्रचार कर रहे थे कि नरेगा में भारी भ्रष्टाचार और अव्यवस्था है। इसका यह प्रचार तो ज्यादा प्रभावी नहीं रहा किन्तु श्रम मूल्य की अनाप शनाप बढ़ोतरी तथा योजना को विकसित क्षेत्रों तक बढ़ाने की तरकीब सफल हो गई। केन्द्र सरकार मानती गई, उस पर आर्थिक बोझ बढ़ता गया, घाटे का बजट बढ़ता गया तथा परिणाम सबके सामने है।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है। योजना अविकसित दो सौ जिलों तक ही सीमित हो इसमें गलत क्या है। क्यो विकसित क्षेत्रों में भी लागू किया जावे । घाटे का बजट है। विशेष स्थिति में ही पूर्व सरकार ने दो सौ जिलों में लागू किया था। तथाकथित अर्थ शास्त्रियों के दबाव में ही कांग्रेस सरकार इसका स्वरूप सुरक्षा की तरह बढ़ाते गई। अब मोदी सरकार दबाव मुक्त है। खतरा देखकर दो तथाकथित विद्वान अरुणा राय तथा निखिल डे ने कुछ तथाकथित अर्थ शास्त्रियों के हस्ताक्षर करारकर अठाइस की संख्या पूरी की। भारत का हर नागरिक जानता है कि अरुणा राय समय समय पर सोनिया गांधी की संकट मोचक का काम करती रही है। निखिल डे, तो उनके साथी ही है। बड़ी कठिनाई से कुछ नाम खोजे गये जिनमें प्रिस्टन विश्वविद्यालय के दिलीप एवेन्सू, केलिफोर्निया विश्व विद्यालय के प्रणव वर्धन, आस्टिन विश्व विद्यालय के वी भास्कर, वास्टन विश्व विद्यालय के दिलीप मुखर्जी जैसे नाम प्रमुख हैं। ज्यात्रेज, रितिका खेरा, अभिजीत सेन, जयन्ती बोस, अश्विनी देशपांडे भी उन हस्ताक्षर कर्ताओं में शामिल हैं। आप समझ सकते हैं कि इनमें से कौन कौन नाम भारत के अविकसित क्षेत्रों से परिचित हैं। किनको किनको अर्थ शास्त्र का कितना ज्ञान है। यह पहला अवसर नहीं है जब नरेगा योजना को भटकाने की कोशिश की गई है। इसके पूर्व दो हजार ग्यारह में देश के सर्वोच्च न्यायालय के अनेक न्यायाधीशों तथा अधिवक्ताओं ने यही काम किया था। इसके पूर्व अनेक सांसदों की टीम ने नरेगा को बंद करने की ही बात कही थी। मुझे दुख होता है यह सुनकर कि कुछ सांसद नरेगा के विरुद्ध है तो अनेक न्यायाधिपति नरेगा के अन्तर्गत दी जाने वाली मजदूरी को अपर्याप्त बता रहे हैं। सांसद नरेगा में

मिलने वाली मजदूरी ज्यादा होने के कारण कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव के कारण चिंतित है तो न्यायाधिपति न्यूनतम मजदूरी कानून से कम दी जा रही मजदूरी को बेगार या बलात्कार सिद्ध कर रहे हैं। इतने अच्छे अच्छे विद्वान यदि स्वैच्छिक सहमति से तय श्रम मूल्य तथा बलात्श्रम का अंतर न समझें यह दुख की बात है। ये विद्वान नरेगा को मौलिक अधिकार कहते हैं। जबकि नरेगा संवैधानिक अधिकार है। बेगार या बलात्श्रम मूल अधिकारों का उल्लंघन है जबकि कानून से घोषित मूल्य से कम मजदूरी देना सिर्फ गैर कानूनी। नरेगा में भारत की मोदी सरकार दो सौ अविकसित जिलों में नरेगा को सीमित कर रही है यह अच्छी बात है। सरकार को साथ साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि श्रम मूल्य न तो बाजार मूल्य से बहुत अधिक हो न बहुत कम। यदि श्रम मूल्य बाजार मूल्य से अधिक होगा तो अन्यत्र रोजगार कर रहे लोग भीड़ बढ़ाकर बजट को असंतुलित करेंगे तथा बहुत कम होगा तो नरेगा का उद्देश्य ही अधूरा रह जायगा। अविकसित क्षेत्रों की लगभग तैतीस प्रतिशत आबादी को श्रमजीवी माना जा सकती है। बीस प्रतिशत आबादी को डेढ़ सौ दिनों तक का काम नरेगा योजना में होने को संतुलित मानना चाहिये। यदि इससे अधिक उपर या नीचे संख्या हो तो असंतुलित मानकर श्रम मूल्य में संशोधन करना चाहिये। अविकसित जिलों में यदि सौ दिन की सीमा को भी हटा दें तो अच्छी बात होगी। सरकार को यदि नरेगा के कारण बजट लड़खड़ाता हो तो शिक्षा का बजट काटकर नरेगा को पूरा करना चाहिये। भारत सरकार साठ चालीस के अनुपात को इक्यावन उन्चास कर रही है, अथवा नरेगा में कुछ और संशोधन कर रही हैं तो उसके कारण स्पष्ट होने पर ही उसकी समीक्षा संभव है। अब तक तो मोदी सरकार के हर कदम ठीक दिशा में जा रहे हैं। इसलिये विश्वास के आधार पर मेरी उनसे पूर्ण सहमति है। मेरा सरकार को सुझाव है कि नरेगा में नकली श्रमजीवी हितैषियों की नीयत खराब है और वे किसी न किसी तरह इस योजना को बजट बोझिल बनाकर बंद कराना चाहते हैं। ऐसे लोगों से सरकार को सावधान रहना चाहिये।

प्रश्नोत्तर

1 अनील शर्मा अनिल, बिजनौर, उत्तर प्रदेश, ज्ञानतत्व 8105

प्रश्न ज्ञानतत्व 297, प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के बारे में आपके विचार उत्तम है। लोकहित व लोकप्रियता शब्दों के माध्यम से आपने स्थिति को स्पष्ट किया है। 15 अगस्त को मोदी जी का उद्बोधन पंडित नेहरू के प्रथम उद्बोधन की पुनरावृत्ति कहा जा रहा है। आप कहाँ तक सहमत हैं।

उत्तर—पंडित नेहरू ने उस समय क्या कहा यह मुझे नहीं पता क्योंकि मेरी उस समय की उम्र दस बारह वर्ष की थी किन्तु बाद में यह महसूस हुआ कि पंडित नेहरू और नरेन्द्र मोदी में एक स्पष्ट फर्क है। नेहरू जी गांधी के प्रशंसक थे, किन्तु गांधी जी की नीतियों के पूरी तरह विरुद्ध थे। मोदी जी गांधी जी के प्रशंसक तो नहीं दिखते किन्तु गांधी की नीतियों के विरुद्ध नहीं। दूसरा अंतर यह भी है कि नेहरू जी की नीयत ठीक नहीं है। जबकि मोदी जी की नीयत पर अब तक कोई संदेह नहीं। नीयत का आंकलन करने का भी एक आधार है कि जब समाज में नीयत की औसत मात्रा अस्सी है तो साठ की नीयत वाला आलोचना का पात्र है। जब समाज की औसत नीयत गिरकर अस्सी की जगह तीस रह जाय तो साठ की नीयत वाला प्रशंसा का पात्र है। इस आधार पर ही मनमोहन सिंह को भी नेहरू से अच्छा प्रधानमंत्री माना गया और मोदी को भी। यदि मनमोहन सिंह और मोदी की तुलना करें तो दोनों के मार्ग बिल्कुल विपरीत हैं। मनमोहन सिंह लोकतंत्र के सर्वोच्च मापदण्डों का पालन करते थे। भले ही समस्याओं का समाधान हो या न हो। मोदी समस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिता देते हैं, भले ही लोकतंत्र के साथ कुछ समझौते ही क्यों न करने पड़े। मनमोहन सिंह को जनता ने कभी नहीं चुना। वे एक व्यक्ति के द्वारा नियुक्त थे। अतः उन्होंने पूरी इमानदारी से खड़ा प्रधानमंत्री का धर्म निभाया। मोदी जी भारत की जनता द्वारा नियुक्त होने और मानने से किसी व्यक्ति के प्रति बंधे नहीं हैं। वे संघ के प्रति भी एक सीमा तक ही अपने को बंधा मानते हैं। उससे अधिक नहीं। यह अवश्य है कि पंडित नेहरू मनमोहन सिंह नीतिश कुमार आदि की नीयत का स्पष्ट चित्र उभर चुका है किन्तु नरेन्द्र मोदी के विषय में अभी कुछ भी कहना जल्दवाजी ही होगी।

2 श्री मुकेश कुमार ऋषि वर्मा, पत्रकार, आगरा, उत्तर प्रदेश 3242

प्रश्न— ज्ञान तत्व की प्रतियाँ मुझे प्राप्त हुईं। आपके विचार पूर्णतः स्पष्ट सुन्दर और समाज के विकास के लिये प्रेरणादायी है। आप कृपया भगत सिंह के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करें।

उत्तर— भगत सिंह का कार्यकाल मेरे जन्म से पूर्व का होने से मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से कुछ लिखने की स्थिति में नहीं हूँ। किन्तु ऐतिहासिक घटनाओं को आधार बनाकर मैं कह सकता हूँ कि भगत सिंह का त्याग सर्वोच्च प्रकार का था। भगत सिंह उच्च भावना प्रधान थे। स्पष्ट है कि भावना प्रधान व्यक्ति समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता किन्तु समाधान के समर्थन में सर्वस्व न्यौछावर कर सकता है। बलिदान भी कर सकता है। भगत सिंह ने वह सब कुछ किया जो वे कर सकते थे।

यदि गांधी और भगत सिंह की तुलना करें तो गांधी की गिनती एक सफल योजनाकार के रूप में की जा सकती है तो भगत सिंह की एक बलिदानी के रूप में। गांधी एक मोटीवेटर व्यक्तित्व थे और भगतसिंह मोटीवेटेड। जैसा त्याग भगत सिंह का है वैसा गांधी का नहीं। दूसरी ओर गांधी ने स्वतंत्रता संघर्ष में जैसा नेतृत्व दिया, वह भगत सिंह के बस की बात नहीं। विचार प्रधान व्यक्ति ही नेतृत्व दे सकता है भावना प्रधान नहीं। दूसरी ओर भावना प्रधान ही बलिदान कर सकता है विचार प्रधान नहीं।

यदि हम स्वतंत्रता के बाद के भारत में भगत सिंह के कार्य की उपयोगिता पर विचार करें तो स्पष्ट है कि भगत सिंह की कार्यप्रणाली स्वतंत्रता के पूर्व ही उपयोगी थी, बाद नहीं। गुलामी काल में ही हिंसक और अहिंसक मार्ग में से एक मार्ग चुनना पड़ता है, लोकतंत्र में हिंसा का कोई स्थान नहीं। जो संगठन स्वतंत्रता के बाद भी हिंसा का समर्थन करने के लिये भगत सिंह के नाम का उपयोग करते हैं वे भगत सिंह के साथ बहुत अन्याय करते हैं। यदि भगत सिंह आज जीवित होते तो ऐसे लोगों का खुलकर विरोध करते जो हिंसा के समर्थन में उनके नाम का उपयोग करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि साम्यवादी और संघ परिवार ऐसे अवांछनीय कार्य के लिये भगत सिंह के नाम की छीना झपटी करते हैं। भगत सिंह का नाम तथा जीवन हमारे लिये आज भी सर्वोच्च श्रद्धा का पात्र है। किन्तु अनुकरण के लिये तब तक उपयोगी नहीं जब तक कोई तानाशाही व्यवस्था न आ जावे। मेरी मजबूरी है कि मैं भगत सिंह के विषय में और कुछ जानाकारी नहीं रखता।

3 बंशीलाल नौटियाल ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तराखंड ज्ञानतत्व 2227

प्रश्न— ऋषिकेश नगर पालिका स्वर्णकार सभा में उपस्थित सभागार में समयाभाव के कारण से मैं प्रश्न नहीं कर सका। अब आपकी आज्ञानुसार निम्न प्रश्न है। संविधान में आजादी के बाद से अब तक कई बार जनता की आवश्यकता को देखकर संशोधन होते आ रहे हैं। फिर आप जो भी परिवर्तन चाहते हैं वह क्यों नहीं हो सकता। इसके लिये क्या करना आवश्यक है।

उत्तर — सच्चाई है कि भारत में स्वतंत्रता के समय से ही ऐसा कोई संविधान नहीं बना जो समाज और शासन के बीच का दस्तावेज कहा जा सके। नेताओं ने एक अपने लिये मार्गदर्शक किताब लिखकर उसे समाज को धोखा देने के लिये संविधान कह दिया। संविधान तो संसद के लिये बाध्यकारी दस्तावेज है, किन्तु जब भी संसद को संविधान से कोई बाधा पैदा हुई तो उन्होंने संविधान के लिखे को बदलकर अपनी बाधा दूर कर ली। आज तक के इतिहास में जनता के लिये संविधान में एक भी संशोधन नहीं हुआ। सभी संशोधन संसद या नेताओं के लिये उत्पन्न बाधाओं को दूर करने के लिये किये गये।

हम लोग जिन दो तीन संशोधनों की मांग कर रहे हैं वे जनता और शासन के बीच जनता को मजबूत करने के लिये हैं। जबकि इसके पूर्व के सभी संशोधन जनता को कमजोर करके शासन को निष्कण्टक करने वाले थे। हमारे प्रस्तावित संशोधन कोई भी राजनैतिक नेता चाहे वह किसी भी दल का क्यों न हो होने ही नहीं देगा। वह इन संशोधनों के खिलाफ एक होकर खड़ा होगा। जी जान से लड़ेगा। जिस तरह नेता एक होकर खड़ा होगा उसी तरह हमें भी एक होना पड़ेगा। अब तक वे हमें जाति धर्म भाषा के नाम पर लडाकर लाभ उठाते हैं। उसी तरह हम भी उन्हें आपस में लडाकर या नये लोगो को खडा करके उन्हें मजबूर कर देंगे तभी कुछ संभव है।

4 श्री एम एस सिंगला अजमेर राजस्थान 50060

विचार— ज्ञानतत्व का अंक 296 पर कुछ विशेष लिखने की आवश्यकता पडी है। डा मीणा ने भा. द. संहिता की धारा 498—ए का मामला उठाया। इस विषय में आपसे फोन पर बात हो गई थी। गत मास एक दैनिक में समाचार पढा कि उत्तर प्रदेश के एक केस में एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उक्त धारा निरस्त हो चुकी है। न्यायमूर्तियों ने इस पर बड़ा आश्चर्य व्यक्त किया कि कोर्ट को इसकी जानकारी क्यों नहीं और वह प्रार्थियों के साथ न्याय नहीं कर पा रही। उन्होंने सौलिसिटर जनरल को आदेश दिया कि वे 14 अगस्त को वस्तुस्थिति से अवगत कराए।

श्री जाखोटिया ने आपसे अनेक प्रश्न पूछे हैं। उनमें कुछ संगत कुछ असंगत से लगे। प्रश्नों में शालीनता का अभाव था वह अवश्य खला। जो हो यह प्रश्नकर्ता की मानसिकता पर निर्भर करता है। प्रश्नों के आपके उत्तर अधिकांश सही या कि सन्तोषजनक बन पडे है।

श्री जाखोटिया की जिज्ञासा अच्छी लगी कि ऋषि मुनि आदि शब्दों में क्या अंतर है? आपने उन्हें ही अंतर दूढने को प्रेरित किया है। मैंने इस पर जो अध्ययन (मीमांसा) किया है वह इस प्रकार है। —

क— ऋषि — वेदों की ऋचाओं का पाठ करनेवाला जैसे ऋषि दयानंद,

ख— मुनि —मनन करने वाला जैसे आप स्वयं। आपने सामाजिक और देश की समस्याओं पर मनन करके उन्हें गहराई से समझने का प्रयत्न किया है। इस दृष्टि से आपको मुनि की संज्ञा दे देना तर्क संगत ही है।

ग—सन्यासी —जो संसार अथवा सांसारिकता को त्याग दे वह सन्यासी। इस कारण चार आश्रमों में अंत का सन्यास आश्रम है।

घ— संत— शुद्धात्मावाला व्यक्ति। उसके मन के विकार पलायन कर जाते हैं। इससे उसकी आत्मोन्नति हो जाती है। वह महात्मा कहा जाने लगता है। इस प्रकार संत महात्मा समानार्थी कहे जा सकते हैं और इन शब्दों का प्रयोग एक साथ देखने में आता है। तब भी महात्मा संसार में रहकर उच्चता को प्राप्त होता है जैसे महात्मा फुले और गांधी।

च—फकीर— फारसी का शब्द है। यह भिखारी के अर्थ में आता है। जिसे बौद्ध धर्म में भिक्षु कहा जाता है। परन्तु फकीर की चर्चा भीख मांगने के साथ साथ उन्नत जीवन शैली की होती है। वह खुदा का बंदा होता है।

छ—ऋषि के आगे चलकर दो स्तर और बन गये। जो ऋषि राजदरबार में स्थान पा गये वे राजर्षि होगये जैसे राजर्षि वशिष्ठ और राजर्षि टंडन। जो देवताओं के ऋषि हुए वे देवर्षि हो गये। इनकी संकल्पना बहुत स्पष्ट नहीं कही जा सकती।

उन्नत जीव मानव में ऐसी प्रवृत्तियाँ प्रायः सर्वत्र मिलती हैं इसी कारण अंग्रेजी में भी सेज सेंट सीयर आदि शब्द प्रयुक्त होते हैं।

कुछ और स्पष्टीकरण दिया जाये तो उक्त शब्दावली वैसे ही है। जैसे अंग्रेजी के शब्द आफिसर इंस्पेक्टर कलक्टर कमिश्नर आदि हैं इन शब्दों में इनके निहितार्थ शामिल हैं। परन्तु इसमें भी जहाँ भ्रामकता दिखाई पडती है, शब्द बदल दिये जाते हैं।

समीक्षा— आपने कुछ शब्दों की व्याख्या की है। मैं इस संबंध में ज्यादा नहीं जानता। अन्य विद्वान कुछ लिखेंगे तो मेरा भी ज्ञान बढेगा।

5 ओम प्रकाश मंजुल पीलीभीत उत्तर प्रदेश 6011

विचार—पुरुष और प्रकृति के जिस संतुलित व सर्वोत्तम संयोग से यह सृष्टि सृजित हुई है आज यह सहयोग अति असंतुलित हो चुका है। जातिगत आरक्षणों की भांति नारी वर्ग को प्रदत्त विशेष और विविध प्रकार के संवैधानिक एवं सामाजिक संरक्षण व आरक्षण भी अप्रासंगिक हो चुके हैं। कभी नारी को अबला कहा जाता था। मैथिलीशरण गुप्त की उक्ति “अबला जीवन हाथ तुम्हारी यहीं कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में पानी” को इसीलिये वेदवाक्य की तरह मान्यता मिलती चली आयी। पर आज स्थिति बदल ही नहीं गई है बल्कि लगभग पूर्णतः पलट चुकी है। अब नर की स्थिति दयनीय है और नारी अबला नहीं सबला बन चुकी है। आज नर को विशेष रूप से सशक्त बनाने की परम आवश्यकता है। आज की महिला महि को हिलाने वाली और पत्नी हर समय पति पर हावी रहने वाली छवि धारण कर चुकी है। अब वह प्राचीन नारी की भांति पति को परमेश्वर नहीं मानती। उसे पदार्थ समझने लगी हैं। (यह बात अशिक्षित या अति शिक्षित नारियों के बारे में भले ही अपवाद सिद्ध हो।) पुरुष की दयनीयता की पटकथा का लेखन यद्यपि 15—20 वर्ष पूर्व ही शुरू हो गया था। पर इधर 5—6 वर्षों से महिलाओं ने पुरुषों की अच्छी दुर्गति की है। भारतीय संविधान ने भी सारे नियम कानून महिलाओं के पक्ष में बनाकर उन्हें पुरुषों का शोषण करने के लिये छुट्टा छोड दिया है। कुछ संवेदनशील लेखक नारियों ने भी पुरुष की दुर्गति को अनुभव किया हैं तथा पुरुष वर्ग के प्रति विशेष सहानुभूति दिखाई है।

कभी अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस आदि की महिलाओं को फैशन परस्त, उत्तेजित, उच्चश्रुखल, और कामुक, माना जाता था। पर इधर के कुछ वर्षों में इन मामलों में भारतीय नारी ने पाश्चात्य नारी को भी पीछे छोड दिया है। प्रकृति ने औरत को मर्द की कमजोरी के रूप में बनाया है। काम के उददाम वेग में ब्रह्मऋषि विश्वमित्र और देवर्षि नारद तक पतित हो गये थे तब सामान्य जन की क्या औकात व विसात। पत्नी पति की कमजोरी का

ही अनुचित लाभ उठाकर उसे जलील और अपमानित जीवन जीने के लिये लाचार करती है। जब तक नारी भारतीय दर्शन से संबद्ध रही, वह संयमित एवं सन्नारी बनी रही। तब तक पति को पतित और अपमानित करने की कल्पना को भी पाप मानती थी। पर अब पश्चिम की भोगवादी एवं बाजारवादी विचारधारा के प्रबल वेग में भारतीय दर्शन चिंतन लगभग पूर्णतः ही बह चुका दिखाई दे रहा है। फलस्वरूप आज के भारतीय पति अपनी धर्मपत्नी के प्रति भीगी बिल्ली बने हुए हैं। दंपत्ति में आये दिन जूता चप्पल लाठी डंडा और हंसिया खुर्ची से मार पीट हुआ करती है। यह न समझे कि इन कहानियों के हीरो और हीरोइन अध्यापक और उसकी पत्नी ही है। अधिकारी डाक्टर बैरिस्टर तथा इंजीनियर और उनकी पत्नी यानी सभी वर्ग के लोग इन कथानकों में अपनी मुख्य भूमिका प्रदान करते हैं। अलबत्ता पति कई कारणों से गृहस्थी के जहर को जाहिर नहीं करता। यह जाहिर तभी होता है जब यह हाथी के दांतों की तरह छिपना कठिन हो जाये या पति आत्महत्या कर ले। पुरुष वर्ग की हर ब्यथा कथा में एक बात सामान्य मिलेगी कि सभी संताने मां का ही अंधा पक्ष लेगी भले ही वह कितनी ही कूर और संवेदन शून्य हो। यानी इनकी डी कंपनी एक ओर और लाचार व लावारिश बाप दूसरी ओर। यह दुर्गति उनकी है जिनकी जिंदगी भर अधिकारियों की डांट फटकार ताकत वेतन फंड और पेंशन को जमा करके इस डी कम्पनी के लिये जमीन तथा मकान दुकान आदि के रूप में संपत्ति बनाई और आज भी पेंशन के रूप में सोने का अंडा दे रहे हैं। आम आदमी की पीठ पर पड़ने वाली डी कम्पनी की मार को समझा जा सकता है। इनमें भी साहित्यकार पति की दुर्गति को धर्मशालाओ और वृद्धाश्रमों व मुसाफिर खानों में पड़े हुए भिखारी जैसे लोग ही भली भांति जानते हैं। साहित्यकार की श्रेष्ठ संतानों और पतिव्रता पत्नी से निर्मित डी कम्पनी का यह सामान्य उवाच होता है। इन (मुखिया) ने हमारे लिये किया ही क्या है? यह तो सारी जिन्दगी अपना नाम कमाने के लिये ही लिखते रहे।

आज महिलाओं द्वारा पुरुषों का तरह तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है, और समाज मूकदर्शक तथा पुलिस महिला वर्ग की सहायक बनी हुई है। 40-50 वर्ष पूर्व अक्सर सुनने में आता था कि अमुक गांव की महिला ने फांसी लगा ली है। पर अब उल्टा हो रहा है। सल्फास खाने वाले या अन्य तरीकों से आत्महत्या करने वाले अधिकांश पति ही होते हैं जिसकी कारण किसी न किसी रूप में पत्नी ही होती है। दहेज एकट और बलात्कार एकट के प्रकरण भी अधिकतर झुठें होते हैं। पत्नी की पति पर जब तानाशाही नहीं चल पाती तब पति को फांसी चढवाने के लिये भावावेश में पत्नी मर जाती है, और पति परिवार को दहेज एकट में फंसा दिया जाता है। इसी प्रकार जब तक पुरुष से कोई स्वार्थ रहता है तब तक मोहब्बत के साथ यौनाचार होता रहता है। स्वार्थ सिद्ध हो जाने पर या आपत्तिजनक स्थिति बन जाने पर वही बलात्कार बन जाता है। अधिक क्या कहा जाये। 2-3 वर्ष की ही घटना है महिला आयोग की एक अधिकारी ने बलात्कार के आरोपी को बंद कक्ष में जांच की। सुबह को आरोपी की ओर से खबर छपी थी कि महिला अधिकारी द्वारा उनका जबरन यौन उत्पीड़न किया गया। अतः आज पुरुष की रक्षा की महती आवश्यकता है। इसके लिये सामुदायिक सहयोग सामाजिक चेतना तथा संवैधानिक प्रावधान आदि सभी प्रकार के प्रयासों की जरूरत है। पुरुषों की रक्षा करना पुण्य कार्य है। (पीडित की रक्षा करना पुण्य ही होता है।) विडम्बना देखे ईश्वर ने जिस पुरुष का निर्माण औरत की रक्षार्थ किया था उसी पुरुष की आज औरत से रक्षा करने की जरूरत पड़ गई है। कभी राजा राम मोहनराय विवेकानंद दयानंद आदि ने नारी की रक्षा हेतु कार्य किये थे। आज पुरुष के लिये ऐसे महानुमावों की आवश्यकता अनुभव हो रही है। पुरुष उनकी वाट जोह रहा है।

समीक्षा- स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों का अस्तित्व अकेला होने पर अभाव ग्रस्त होता है। प्राचीन काल में आम तौर पर परिवार से लेकर समाज तक पुरुष संचालक और स्त्री संचालित होती थी। अनेक पुरुष शोषक भी हो जाते थे और स्त्री दायित्व बोध के कारण सहन करती थी। हिन्दू धर्म ग्रन्थों में बार बार महिलाओं के पूज्य कह कर उपदेश देने का अर्थ यही है कि सामान्य जीवन में पुरुष प्रधान था। पुरुष प्रधानता सिर्फ दोनों के बीच की मान्यता न होकर विवाह के समय की आम व्यवस्था थी कि लडका लडकी से अधिक योग्य तथा उम्र में बड़ा होना चाहिये। लडकी पक्ष भी ऐसी ही मान्यता रखता था। स्पष्ट है कि विवाह से ही पुरुष प्रधान व्यवस्था थी। पुरुष प्रधानता तब तक नहीं टूट सकती जब तक इस व्यवस्था में बदलाव न हो। हमारी सरकार अथवा नासमझ सामाजिक कार्यकर्ता कानून बनाकर इस व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। यह प्रयत्न लाभ कम और हानि अधिक कर रहा है। वर्ग विद्वेष वर्ग संघर्ष बढ़ रहा है। धूर्त और अपराध वृत्ति की महिलाएं ऐसे कानूनों का लाभ उठा रही हैं। ऐसी अपराध वृत्ति की महिलाएं संगठित होकर सम्पूर्ण समाज को ब्लैकमेल कर रही हैं। देश का कानून महिलाओं को लैंगिक आक्रमण जैसे मामलों में बहुत विश्वसनीय मानता है। यह हमारा दुर्भाग्य है कि हम ऐसे विभेदकारी कानून बनाते रहते हैं। दहेज कानून ने कितना अन्याय किया यह जग जाहिर है। अभी अभी मेरठ की एक लडकी ने बार बार बयान बदलकर पुलिस तथा न्यायालय को तो परेशान किया ही साथ ही साथ समाज में भी अनेक समस्याएं बढ़ाईं। दोष लडकी का नहीं। दोष कुछ उच्चश्रृंखल महिलाओं के प्रभाव में पडकर ऐसे एक पक्षीय कानून बनाने वालों का है जो आचरण का प्रमाण पत्र व्यक्ति को न देकर वर्ग को देते हैं।

अच्छाई और बुराई व्यक्तिगत आचरण का विषय हैं। उसका स्त्री या पुरुष होने से कोई संबंध नहीं। महिला और पुरुष में से जो अच्छे स्वभाव का होगा वह कुछ परेशान रहेगा ही। व्यक्तिगत आचरण परिवार का आंतरिक मामला है। उसमें कानून को कभी कोई हस्तक्षेप तब तक नहीं करना चाहिये जब तक वे परिवार के सदस्य हैं। किन्तु व्यवस्था की बुराइयां व्यवस्था ही दूर कर सकती हैं। परिवार के मुखिया का चयन लोकतांत्रिक तरीके से होना चाहिये। परंपरागत तरीके की जगह परिवार में भी लोकतंत्र का विस्तार होना चाहिये। मैं जानता हूँ कि अधिकांश पुरुष इसके पक्ष में नहीं हैं किन्तु जब तक ऐसा नहीं होता तब तक समस्याएं बढ़ती जायेंगी। दूसरे सुधार के रूप में समान नागरिक संहिता लागू करना है। कानून की नजर में व्यक्ति एक इकाई हो। स्त्री या पुरुष परिवार या समाज में अलग अलग हो सकते हैं किन्तु कानून से नहीं। कानून की नजर में सब व्यक्ति मात्र होंगे। सबके कानूनी अधिकार समान होंगे। तीसरा संशोधन यह हो कि परिवार की सम्पूर्ण सम्पत्ति में प्रत्येक सदस्य का समान अधिकार होना चाहिये। किसी भी व्यक्ति की किसी भी स्थिति में न तो दो जगह सम्पत्ति हो न कोई किसी भी स्थिति में सम्पत्ति विहीन महसूस करे। चौथा संशोधन यह हो कि विवाह तलाक दहेज आदि सामाजिक विषय हो कानूनी नहीं।

मैं सहमत हूँ कि धूर्त और चरित्र हीन महिलाएं धूर्त चरित्रहीन अपराधी पुरुषों के उदाहरण प्रस्तुत करके सम्पूर्ण पुरुष वर्ग के खिलाफ वातावरण बनाकर उसका लाभ उठाती हैं। इसी तरह धूर्त चरित्रहीन पुरुष भी सम्पूर्ण महिला वर्ग पर लांछन लगाकर उसका लाभ उठाता है। मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं कि आम तौर पर महिलाएं ऐसा करती हैं। किन्तु इस बात से सहमत हूँ कि धीरे धीरे अत्याचारी महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। यदि सम्पूर्ण समाज का विचार करें तो आज भी अत्याचार करने वाले पुरुषों की संख्या महिलाओं से ज्यादा ही है किन्तु इस प्रतिशत को ठीक करने का प्रयास बहुत घातक होगा। परिवार व्यवस्था टूटती जायेगी। पति पत्नी के बीच अविश्वास की खाई का बढ़ना सामाजिक व्यवस्था को गंभीर क्षति करेगा। कैसे तो बच्चे पैदा होंगे और कैसे उनके संस्कार होंगे। मैं महिला सशक्तिकरण की आवाज को बहुत हानिकार आवाज के रूप में सुन रहा हूँ,

किन्तु मैं उस व्यवस्था से भी सहमत नहीं जो वर्तमान परिवारों में है। महिला सशक्तिकरण के सभी कानूनों को तत्काल समाप्त करने की दिशा में बढ़ना चाहिये। किन्तु साथ ही परिवार व्यवस्था में लोकतंत्र का समावेश भी अवश्य होना चाहिये। सम्पत्ति संबंधी भी सारे अम्बेडकरी कानूनों को समाप्त करके परिवार की सम्पत्ति में महिलाओं का भी समान अधिकार हो। मेरा स्पष्ट मत है कि धूर्त महिला धूर्त पुरुष लगातार कानूनों का लाभ उठाकर वर्ग विद्वेष विस्तार की आवाज उठा रहे हैं, जो घातक है।

6 रविन्द्र सिंह पत्रकार संवाद सरोवर गुना म0प्र0 41072

प्रश्न— ज्ञानतत्व 294 मिला। लेकिन उससे विवेकानंद सहित्य पर प्रकाश नहीं पड़ता है। उन्होंने युवको से कहा उठो जागो और बढ़ो। आज भी पूरे देश में स्वामी जी की जयंती युवको में जागृति फैलाने के लिये 12 जनवरी को युवक दिवस के रूप में मनायी जाती है। यह सच है कि स्वामी जी राजनीतिज्ञ न होकर आध्यात्मिक व्यक्ति थे। उन्हें अंग्रेज भक्त या सरकार का समर्थक कहना गलत है। स्वामी दयानंद सरस्वती समाजसेवी आंदोलनकर्ता थे। उनके बाद संघ ने स्वामी विवेकानंद के इस आंदोलन को तोड़कर साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है। उनसे पहले मूर्ति पूजा तक ही हिन्दू सीमित थे। साम्प्रदायिकता ने जातीय भेद भाव को बढ़ावा देकर गलत मानसिकता को बढ़ावा दिया है। धर्म संस्कृति साहित्य और समाज में आत्म विश्वास की चेतना जगाई जा सकती है। धर्म धन संग्रह की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाकर संस्कृति और साहित्य से जोड़ता है। एक विशेष लेख साहित्य संस्कृति, धर्म और साम्प्रदायिकता पर भी लिखियेगा।

उत्तर— मेरे विचार से मनुष्य को उग्र में बांटकर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पारिवारिक व्यवस्था तक तो सीमित हो सकती है, सामाजिक नहीं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं का आह्वान किया और बड़े बूढ़ों को छोड़ दिया। वर्ग आह्वान बहुत आकर्षक और लोकप्रिय कार्य होता है किन्तु ऐसा आह्वान समाज के लिये बहुत घातक होता है। क्योंकि ऐसे आह्वान से सामज टूटने की प्रक्रिया तेज होती है। मैं ऐसे प्रयत्न से सहमत नहीं। स्वामी विवेकानंद धार्मिक व्यक्ति थे आध्यात्मिक नहीं। अध्यात्म, धर्म, राज्य और समाज का घालमेल ठीक नहीं। चारों के अलग अलग अर्थ समझने की आवश्यकता है।

संघ परिवार ने युवा वृद्ध को अलग अलग देखने का काम कभी नहीं किया। संघ परिवार ने कभी जातीय कटुता भी नहीं बढ़ाई। संघ परिवार ने परिवार तोड़कर कोई काम कभी नहीं किया। संघ परिवार ने साम्प्रदायिकता का सहारा लिया यह सच है। किन्तु यह भी उतना ही सच है कि तथाकथित धर्म निरपेक्षों ने संघ का विरोध करने के नाम पर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण का खतरनाक खेल खेला। मुझे ऐसा लगता है कि संघ परिवार के विस्तार में ऐसे धर्मनिरपेक्ष कहे जाने वाले लोगों की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण साम्प्रदायिकता है। मैं स्वयं संघ परिवार के पक्ष में कभी नहीं रहा। किन्तु यदि संघ की तुलना तथाकथित धर्मनिरपेक्षों से करनी पड़ती है तो मजबूर होकर मैं संघ समर्थक बन जाता हूँ।

7 बंशीलाल नौटियाल रिषीकेश हरिद्वार उत्तराखंड 2227

प्रश्न—आप सात सितम्बर 2014 को ऋषिकेश नगरपालिका के कार्यक्रम में आपके दर्शन हुए तथा आपके विचार सुने। यह सब डा. राजनेगी जी के द्वारा ही संभव हो सका। आपसे प्रश्न यह है कि भ्रष्टाचार जनता कर रही है तो इनको रोकने का क्या उपाय है? क्या मोदी सरकार इसे दूर कर सकती है। अभी तक आप मोदी सरकार को अच्छे दिन लाने के 100 दिन में कितने नम्बर देंगे।

उत्तर— मालिक से छिपाकर लिया गया धन भ्रष्टाचार माना जाता है। जनता नेता और सरकारी कर्मचारी में से कौन किसका मालिक है और कौन किसका नौकर? मेरे विचार में लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और नेता उसके प्रबंधकर्ता जो एक प्रकार से नौकर ही हैं क्योंकि उनका पद औनररी नहीं है बल्कि वेतन भोगी है। सरकारी कर्मचारी जनता के नौकर नहीं होते बल्कि सरकार के नौकर होते हैं। क्योंकि सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति निलंबन या निष्कासन जनता नहीं कर सकती किन्तु नेता का जनता करती है। नेता का भ्रष्टाचार जनता के लिये अपराध है किन्तु कर्मचारी का भ्रष्टाचार जनता के लिये अपराध नहीं होकर गैर कानूनी कार्य होता है। किसी देश में कानून की जो मात्रा होती है वही मात्रा भ्रष्टाचार पैदा होने के अवसर की भी होती है। सरकार की कानूनों का पालन कराने की क्षमता दो प्रतिशत ही होती है। भारत में अब तक बने कानून लगभग सौ प्रतिशत नागरिकों को प्रभावित करते हैं। इसलिये भ्रष्टाचार रोकने के लिये कानूनों की संख्या बहुत घटानी होगी। अब तक की सभी सरकारें नये नये कानून बना रही थीं। मोदी जी ने कानूनों की संख्या घटाने की शुरुआत की है।

समस्याओं के समाधान के दो ही मार्ग हैं। 1 तानाशाही 2 लोक स्वराज्य। लोकतंत्र इन दोनों के बीच का अल्पकालिक मार्ग है जो ज्यादा दिन चले तो समस्याएं बढ़ती हैं। पश्चिम का लोकतंत्र लोक स्वराज्य की दिशा में झुका हुआ है, भारत का तानाशाही की ओर। नरेन्द्र मोदी ने बीच का मार्ग छोड़कर तानाशाही की दिशा में लोकतंत्र को बढ़ाया है जो सभी समस्याओं के समाधान के लिये अच्छा मार्ग है। यदि मोदी जी के अब तक के कार्यकाल अर्थात् साढ़े चार माह का आकलन करे तो उन्हें सौ में से सौ अंक दिये जा सकते हैं।

नरेन्द्र मोदी का अभी भारत में कोई विकल्प नहीं है और न ही ऐसी आवश्यकता है। तानाशाही के विकल्प के रूप में यदि लोक स्वराज्य की लाइन कोई दल पकड़ता है तो उसे वर्तमान मोदी व्यवस्था का विकल्प माना जा सकता है अन्यथा वर्तमान राज नैतिक दल तो मात्र पेशेवर राजनेता ही सिद्ध हुए हैं। इन्हें तो समाप्त होना ही चाहिये। जो प्रक्रिया वर्तमान में जारी है।

8 श्री राजेन्द्र शुक्ल, उज्जैन म0प्र0 40464

प्रश्न— मैंने आपके उज्जैन प्रवास पर दो वर्ष पूर्व भी इस बारे में जानना चाहता था, किन्तु समयभाव के कारण आपने फिर कभी देखेगे कहा था। मेरी जिज्ञासा है कि

1 नक्सलवाद पर देश के नेता दोहरी राजनीति क्यों करते हैं। 2 नक्सलवाद के असली पोषक क्या राजनेता हैं या कोई और? 3 गृहमंत्री पी चिदम्बरम ने आतंकवाद से ज्यादा खतरा नक्सलवाद को बताया था फिर भी उन्हें अपने कदम पीछे क्यों लेने पड़े थे। 4 क्या दिग्विजय सिंह के शासनकाल में नक्सलवाद सबसे अधिक फैला था। बेकसूर लोगों को मारने वालों को नेतागण राह से भटके युवा कहकर क्यों बचाव करते हैं। क्या नक्सलवाद को मोदी जी चुनौती के रूप ले लेंगे?।

उत्तर— मैं छत्तीसगढ़ के उस शहर का निवासी हूँ जहाँ नक्सलवाद बहुत तेज गति से आया भी और समाप्त भी हो गया। इसके पूर्व जब दिग्विजय सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब तक हमारे जिले में नक्सलवाद नहीं आया था। दिग्विजय सिंह के ही प्रयासों से बस्तर में नक्सलवाद आया और उन्हीं के कार्यकाल के अंतिम दिनों में रामानुजगंज बलरामपुर जिले में भी आया। छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद अजीत जोगी भी नक्सलवाद को बढ़ाते रहे। भाजपा सरकार आने के बाद छत्तीसगढ़ के हमारे जिले से नक्सलवाद समाप्त हो गया तथा छत्तीसगढ़ के ही बस्तर में मजबूत हो गया। पी चिदम्बरम

नक्सलवाद दूर करना चाहते थे किन्तु चिदम्बरम जी मनमोहन सिंह के गुप में थे और दिग्विजय सिंह सोनियां गांधी गुप में। सोनिया दिग्विजय गुप भारी पडा और नक्सलवाद को अभय दान मिल गया।

अब नक्सलवाद को समाप्त समझना चाहिये। पूरे देश में नक्सलवादियों के हौसले पस्त हैं। सरकार के समक्ष कोई दुविधा नहीं हैं अब तो भारत सरकार नक्सलवाद को सबसे पहली समस्या भी नहीं मान रही बल्कि अभी सरकार विकास या पाकिस्तान के बीच झूल रही है। सच भी है कि नक्सलवाद धीरे धीरे दम तोड़ती समस्या बन गई है। क्योंकि न प्रदेश सरकारों के समक्ष कोई दुविधा है न ही केन्द्र सरकार के समक्ष।

श्री बनवारी लाल पारीख जयपुर राजस्थान 50840

विचार—यद्यपि राजनैतिक दलों का प्राचीनकाल में वर्णन नहीं मिलता है पर आज यह दल ही जनता व सरकार के बीच सेतु का कार्य कर रहे हैं और अब तो ये दल देश में कुक्कुरमुतो की तरह पनप गये हैं। इनका ध्येय जनता जनार्दन की सेवा करना नहीं अपितु अपने आकांओं के यश वैभव व मान मर्यादा को बढ़ाना ही रह गया है। अब क्या दल विहीन प्रजातंत्र की कल्पना समीचीन नहीं है। इस यक्ष प्रश्न पर विचार आवश्यक है। राजनैतिक दलों की सक्रियता चुनाव के समय देखी जा सकती है, जब मतदाता को कई सब्जबाग दिखाये जाते हैं। सभी दलों का मूल उद्देश्य येन केन प्रकारेण अपने उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करना ही होता है। भले ही वह जेल की सीकंचों में बंद ही क्यों न हो। फल: स्वरूप फूलन देवी जैसी औरतें भी इनके द्वारा संसद में भेज दी जाती हैं। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति भी माननीय सांसद बना दिये जाते हैं जिनके पास वहां झांकी दिखाने जितना समय भी नहीं होता है। इसे प्रजातंत्र की विडम्बना कहा जाये अथवा मतदाताओं की मूर्खता क्योंकि वे लोग भय लाभ तथा बहकावे में आकर अपना अमूल्य मत इन्हे सौंप देते हैं। नेताओं ने राजनैतिक दलों को प्राइवेट कम्पनी बना दिया है जिसके शेयर होल्डर उनके भाई भतीजे पुत्र पुत्रियां आदि ही होते हैं। उनका विधान सभाओं में पहुंचना बहुत आसान ही है क्योंकि इस पर रोक नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन माना जाता है।

चुनाव में यदि किसी एक दल को बहुमत प्राप्त हो जाता है तो इस के नेता लोगों के चमचो चाटूकारों व परिवारजनों के लिये मंत्री पद भी पक्का हो जाता है। क्योंकि मंत्री पद के लिये किसी भी प्रकार की अनिवार्य योग्यता तो अपेक्षित होती ही नहीं। यदि बहुमत प्राप्ति में संदेह हो तो कई दल मिलकर आपस में सौदेबाजी कर लेते हैं, और मिली जुली सरकार बन ही जाती है, पर सरकार बनने के बाद मंत्रालयों की बंदरवांट आरंभ हो जाती है। सभी दल मलाई वाले विभाग लेना चाहते हैं। आखिर उन्होंने चुनाव में इन्वेस्टमेंट भी काफी कर रखा होता है। आप इस तथ्य से तो इन्कार कर ही नहीं सकते कि आज सर्वथा अनाचार भ्रष्टाचार और घोटालों की महामारी फैल रही है। पर यह तो एक बहती गंगा है जिसमें मंत्री संत्री अधिकारी कर्मचारी आदि सभी स्नान कर अपने पापताप धो देना चाहते हैं। यदि भ्रष्टाचार आदि के आरोप में कभी कोई सदस्य पकड़ा भी जाता है तो पार्टियां उससे त्यागपत्र ले लेती हैं अथवा जांच कमेटी आदि बैठा कर जनता को गुमराह कर दिया जाता है। आजकल मतदाताओं की स्मरण शक्ति भी इतनी कमजोर हो चुकी है कि अगले चुनाव तक वह सब कुछ भूल जाते हैं। यदि आप दूरदर्शन देखते हैं तो अवश्य मानते हैं कि राजनैतिक दलों के विधायकों में विधान सभाओं को पहलवानों का अखाड़ा बना रखा है। परन्तु जब उनके वेतन भत्तों आदि बढ़ाने के बिल प्रस्तुत होते हैं तो वे भी पक्ष विपक्ष एकमत होकर चोर चोर मोसरे भाई की कहावत चरितार्थ करते हैं। पहलवान शब्द का प्रयोग इसलिये किया गया है कि अधिकांश दलों के सदस्यों में ऐसे व्यक्ति जीतकर आते हैं जिनके विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही चल रही होती है। कई सदस्य तो गंभीर अपराधों में लिप्त भी रहे हैं। इसमें दोष उपर वाले का भी नहीं है। वह तो समय समय पर मार्ग दर्शक धर्माचार्य आदि भेजता ही रहता है पर वे लोग भी इस धरा धरती पर पधार कर किसी न किसी दल का आश्रय ग्रहण कर लेते हैं। यहां तक कि काल कोठरी को भी पवित्र करने चले जाते हैं। जहां राजनैतिक दलों के कई सदस्य पूर्व में ही पर्यटन व जलवायु परिवर्तन हेतु पहुंच चुके हैं। क्या नवनिर्वाचित सरकार दल की संकीर्णता से उपर उठकर इन समस्याओं का निदान खोजेगी।

प्रश्न—सत्यपाल शर्मा बरेली उत्तर प्रदेश 6894

आज देश में प्रजातंत्र मजाक बनकर रह गया है। राजनीति जनसेवा या समाजसेवा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। राजनीति ऐसा जादुई चिराग है जिसे छूते ही धनवर्षा होने लगती है। यहां पर अपराधी अपनी मनमानी करने के लिये स्वतंत्र है। भला और सज्जन आदमी पुलिस थाने में जाने से बचता है। थाने में भ्रष्ट व दलालों को सुविधा और सम्मान मिलता है। राजनीतिक दल लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र विकसित करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री बनाया जाता है। भले ही उनमें पदों के निर्वहन की योग्यता क्षमता न हो। राजनीति और नौकरशाही भ्रष्टाचार के मामले में साझेदारी निभाते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य न्याय विभाग भी अब भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं। भ्रष्टाचार सहित तमाम बुराइयों में व्यक्ति समाज और शासन व्यवस्था परस्पर एक दूसरे से मिले जुले हैं। व्यक्तियों से समाज बनता है और यही समाज व्यवस्था व शासन का निर्माण करता है। आप जैसे विचारवान लेखक देश की विभूति हैं। वैदिक संस्कृति दुनियां की सबसे प्राचीन और सर्वश्रेष्ठ संस्कृति है। इसमें सत्यम शिवम सुन्दरम का समावेश है। भारत की राजनीति संस्कृति विहीन होने के कारण ही भ्रष्ट गडबड और कलुषित है। संसद भारतीय जनता की भाग्य विधाता है। इसलिये यह परम आवश्यक है कि संसद सदस्य ईमानदारी और निष्ठा से पद की गरिमा बनाये रखे। राजनीति कठोर श्रम और तप है आज इसे फायदे का व्यवसाय बना दिया है। राजनीति में लोक मंगल की भावना की आवश्यकता है। राजनीति बुराई से लड़ती है। इसके विपरीत उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी अपने को डा0 लोहिया का अनुयायी बताती है और तुष्टीकरण की बुराई के राह पर चलती है। राजनीति की कथनी करनी में जमीन आसमान का अंतर है। यदि राजनीति सुधर जाये तो देश का काया कल्प हो जाय और देश में सभी को न्याय सम्मान सुविधाये मिलने लगे। कृपया अपने ओजस्वी विचार व्यक्त करने की कृपा करें।

उत्तर— यह सच है कि राजनीति व्यवसाय का रूप ले चुकी है। जिस तरह पुराने जमाने में सामान्यतया पूरा परिवार या तो सामूहिक व्यापार करता था या अलग अलग होने के बाद भी पैतृक व्यवसाय सरीखा ही व्यवसाय करते थे और आज भी करते हैं उसी तरह आज चुनाव में उम्मीदवारों का पूरा परिवार बूढ़े बालक महिलाएं सब एक साथ चुनाव प्रचार में लग जाते हैं। सभी यह समझते हैं कि चुनाव जीत जाना लाटरी खुलने के समान है जो पूरे परिवार की पीढियों तक का भाग्य बदल सकती है।

व्यक्तियों से समाज बनता है और समाज से ही व्यक्ति बनता है। व्यक्ति समाज की पहली इकाई है और व्यक्ति समूह अंतिम। राज्य अथवा सरकार व्यक्ति समूह के निर्देशों पर चलती है तथा व्यक्ति को निर्देश देती है। इस तरह व्यक्ति समूह राज्य से उपर की इकाई है और व्यक्ति राज्य से नीचे की।

सच बात तो यह है कि संसद या सरकार हमारी अपराधियों से सुरक्षा के काम तक सीमित हैं जैसे एक डाक्टर हमारी बीमारी दूर करने तक के लिये भाग्य विधाता है या शिक्षक शिक्षा के लिये उसी तरह सरकार और संसद भी है। उससे ज्यादा उसका महत्व नहीं। वर्तमान समय में संसद समाज को गुलाम बनाकर सारी शक्ति अपने पास समेट रही है। इसमें चरित्रहीन और भ्रष्ट लोगों के साथ साथ चरित्रवान तथा इमानदार लोगों की भी

बराबर की भूमिका रही है। आपने डा0 लोहिया की चर्चा की है। क्या कभी लोहिया जी ने संसद में आर्थिक तथा राजनैतिक शक्ति के अकेन्द्रिय करण या विकेन्द्रीयकरण की बात कही। क्या कभी लोहिया जी ने संसद में उठाया चूकि संसद संविधान के अंतर्गत कार्यपालिका तथा विधायिका का काम करती है इसलिये संविधान संशोधन के असीम अधिकार संसद के पास रखना ठीक नहीं। मैं लोहिया जी का प्रशंसक हूँ कि उन्होंने चौखम्बा राज्य या सप्त क्रान्ति की बात की किन्तु धीरे धीरे वे इमानदार राजनेता तक सीमित होते चले गये। आप मुलायम सिंह को तुष्टीकरण से जोड़कर देख रहे हैं तो आप बताइये कि अन्य कौन सी सरकार इससे उलट है। नरेन्द्र मोदी को छोड़कर अन्य सभी सरकारें तुष्टीकरण का खेल खेल रही हैं। अब नई परिस्थितियों में मुलायम सिंह परिस्थिति वश अल्प संख्यक तुष्टीकरण नीति में संशोधन करने की सोच रहे हैं।

बनवाली लाल जी ने दल विहीन प्रजातंत्र की मांग की है। वर्तमान प्रदूषित राजनैतिक व्यवस्था में दल विहीन प्रजातंत्र भी ठीक है किन्तु यदि आर पार की लड़ाई हो तो लोक संसद का मुद्दा ही सबसे अधिक उपयुक्त है। उन्होंने जो कुछ लिखा है वह अक्षरशः सत्य होने से समीक्षा की आवश्यकता नहीं है।

10 बेनी गोपाल शर्मा कुशीनगर युपी 4265

प्रश्न—बेचू बी ए के माध्यम से ज्ञानतत्व के कुछ अंक पढे। आप बार बार व्यवस्था परिवर्तन की बात तो लिखते हैं किन्तु व्यवस्था क्या है और कैसे बदलेगी यह कभी स्पष्ट नहीं हुआ। अन्ना जी ने भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कही किन्तु अंत में लोकपाल पर आ गये। निश्चित ही लोकपाल व्यवस्था परिवर्तन नहीं हैं जय प्रकाश जी ने भी व्यवस्था परिवर्तन की बात कही किन्तु वे व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं कर सके बल्कि इंदिरा हटाओ पर आकर टिक गये। अब मोदी जी ने अच्छे दिन लाने का वादा किया। नेताओ और सरकारी कर्मचारियों के पहले से ही अच्छे दिन आये हुए थे। और अब भी दिन दुने रात चौगुने लाभ में दिन बीत रहे हैं। जिन शिक्षको को बिहार में नीतिश कुमार चार साढे चार हजार में भर्ती करके अच्छा काम करवा रहे हैं वैसे ही शिक्षक अन्य प्रदेशों में बीस पचीस हजार रूपया वेतन लेकर भी उतना काम नहीं कर रहे।

मेरे विचार से व्यवस्था परिवर्तन का काम बिल्कुल नीचे से शुरू करना चाहिये। यदि मां संस्कारित होगी तो बच्चा भी संस्कारित होगा। अन्यथा या तो अपढ मां का बच्चा गंदी गालियां सीखकर बड़ा होते ही अपराधी बनेगा अथवा पढी लिखा मां का बच्चा पढ लिखकर नेता या अफसर बनेगा और भ्रष्टाचार करके समाजको लूट लेगा।

देश में परिवर्तन के लिये कडे कदम उठाने की जरूरत है। मुट्ठी भर नेता और अफसर पूरे एक सौ बीस करोड को ब्लैक मेल कर रहे हैं। इनसे डरने की जरूरत नहीं।

उत्तर— जय प्रकाश जी ने व्यवस्था परिवर्तन को ठीक समझा था किन्तु विनोवा जी का साथ नहीं मिलने से उन्हें राजनेताओ के साथ समझौते करने पडे। परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अन्ना हजारे जी ने भी व्यवस्था परिवर्तन को ठीक से समझा था किन्तु उन्हें भी अरविन्द केजरीवाल से समझौता करके लोकपाल पर आना पडा। मैंने जय प्रकाश जी तथा अन्ना जी के अनुभव से सीख लेकर आगे बढ़ना शुरू किया है। मैं परिवार गांव जिले को संवैधानिक अधिकार राइट टू रिकाल और लोकसंसद की तीन बातों से बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा। मुझे जे पी या अन्ना जी सरीखे अपने जीवित रहते परिवर्तन की जल्दवाजी नहीं है। आपने जो सुझाव दिया उसका एक भाग सुशासन का है। यह काम मोदी जी बखूबी कर रहे हैं। दूसरा भाग मां को संस्कारित करने की पहल करने का है। यह सामाजिक व्यवस्था में सुधार की बात है। मैं इस दिशा में कुछ नहीं कर रहा। मैंने टी वी का अस्पताल खोला है तो मैं कैसर का मरीज भर्ती नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ एक ही काम को व्यवस्था परिवर्तन मानकर चल रहा हूँ कि भारत का लोकतंत्र लोकनियुक्त तंत्र से बदलकर लोक नियंत्रित तंत्र की दिशा में बढ़ जावे। इसके लिये मैंने तीन बिन्दु सुझाये हैं। चौथा बिन्दु दो हजार मूल रूपया प्रति व्यक्ति प्रतिमाह कैश सबसीडी देकर कृतिम उर्जा की भारी मूल्य वृद्धि का है। यह चौथा बिन्दु सुशासन का है जिसे अवस्था परिवर्तन कह सकते हैं।

आपने माताओ को संस्कारित करने की बात कही। पहले अंडा होगा कि पहले मुर्गी। संस्कारित करने के लिये भी संस्कारित लोग चाहिये। इसकी खोज कैसे होगी? यदि कही ऐसा प्रयास होगा तो मैं उसका समर्थन करूंगा किन्तु अपनी राह पर बढ़ता रहूंगा।

11 सुरेश कुमार शर्मा चुरु राजस्थान

प्रश्न—समाचारों के साथ शरारत करना, समाचारों की प्राथमिकता बदलकर सम्भव है। समाचारों के लक्षित हिस्से को जानबूझ कर आक्रामक ढंग से पेश करना समाचारों के साथ शरारत करने का दूसरा ढंग है। मीडिया के जरिये यह बेशर्म हरकत सत्ता के प्यासे लोग करते हैं। मीडिया और इंटरनेट से उम्मीद की जानी चाहिए कि यह घर घर शिक्षा पहुँचाए, अपनी बोर्डरलेस और बाउंड्रीलेस पहुँच से यह अकल्पनीय तरीके से कर सकता है। पर हालात इसके विपरीत है। अमेरिका में आज हर ग्रेजुएट पर 27000 डॉलर शिक्षा लोन है। मीडिया और इंटरनेट से ओर्गेनाइज्ड सेक्टर तो भय, विरोध और फूहडपन फैला रहा है। भूखे नंगों को टीवी पर नजारे दिखा कर छीन लेना इनके लिए वैसे ही है जैसे गली में बच्चे कुत्तों को रोटी ऊँची लटका कर उनसे नाचने का खेल देखते हैं। फिर जब सैंकड़ों लोग इनको देखते हैं और आस करते हैं कि कुछ खाने को मिल जाए तो एक टुकड़ा फैंक कर उसके लिए उन भूखे नंगों को लडते देखना इनको अपार सुख से सरोबार कर देता है। टेक्नोलोजी से जोड़कर नागरिकों से किस तरह की अपेक्षा की जा रही है अभी कहना मुश्किल है। एक छलावा पहले भी हुआ है... पहिले के आविष्कार के समय कहा गया था कि ये हर भूखे तक अनाज पहुँचाएगा। पर रोटी चाहने वालों के लिए बारुद पहुँचता है। पूँजीवादी नजरिये की इस सरकार से भारत की क्या तस्वीर बनती है ये तो भविष्य ही बताएगा। भारत में शिक्षित पैदा होंगे या शिक्षा के कर्जदार आगामी पाँच साल में यह तो समय ही बताएगा। रिकल डेवलपमेण्ट के जरिये 5-6 हजार रूपया महीने कमा सकने वाली मजदूरों की फोज खडी होगी या विवेक शक्ति के विकास के लिए विश्वविद्यालयों में स्वतंत्र चिंतन को भी प्रोत्साहन मिलेगा कहना मुश्किल है।

उत्तर— आपके लिखे विचारों का मैं आशय नहीं समझ सका। इसलिये समीक्षा संभव नहीं है।

12 गुरुप्रीत सिंह गंगा नगर राजस्थान 50516

विचार— ज्ञानतत्व अंक 301 मिला। मैं कई बार आपके विचारों से सहमत नहीं होता किन्तु बाद के अंकों से कई प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। अंक तीन सौ में आपने शिवदत्त जी के प्रश्न के उत्तर में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह गांधीवादी भाषा नहीं है। मेरे विचार से आपको शिवदत्त जी के प्रश्न का उत्तर देते समय अधिक सादगी दिखानी चाहिये। किन्तु आपने व्यंग्य की भाषा का अधिक उपयोग किया।

उत्तर— शिवदत्त जी से मेरा कोई परिचय नहीं है। एक विचारक के रूप में पत्रों का आदान प्रदान होता है। विचारक को विचार मंथन तक ही सीमित रहना चाहिये। व्यक्तिगत आचरण पर टिप्पणी ज्ञानतत्व के वास्तविक उद्देश्य से भटकाव पैदा करेगी। प्रति सप्ताह उनके दो बड़े बड़े पत्र प्राप्त होते रहे हैं

जिनमे विचार मंथन नगण्य तथा प्रवचन की ही भरमार रहती है। मैंने उनके अनेक पत्रों को मिलाकर कुछ प्रश्न बनाये जिसमें सिर्फ एक प्रश्न के उत्तर में ही व्यंग का प्रयोग किया है। अन्य उत्तर गांधी वादी तरीके से ही है। सच्चाई यह है कि मैं गांधीवादी न हूँ न उस मार्ग पर चलना उचित समझता हूँ। मैंने अन्य परिभाषाओं से हटकर गांधीवाद को इस तरह परिभाषित किया है कि तत्कालीन परिस्थितियों में सत्य और अहिंसा को आधार बनाकर समाज की प्रमुख समस्याओं के समाधान का प्रयत्न। इसका अर्थ यह हुआ कि वर्तमान समय की प्रमुख समस्याओं का समाधान अहिंसक तरीके से करना है। मुझे शिवदत्त जी के उत्तेजित करने वाले प्रश्नों से मुक्त होना था। मैं मुक्त हो गया। अब उनके बहुत अच्छे पत्र आ रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। मैं गांधी की खादी या चरखा का पक्षधर नहीं। मैं गांधी के झापड़ मारने वाले के सामने दूसरा गाल करने का भी पक्षधर नहीं। किन्तु हिंसा के मार्ग को भी अच्छा विकल्प नहीं मानता। मैं ब्राम्हण हूँ। समस्या के अनुसार समाधान का मार्ग तलाशने का पक्षधर हूँ। संभवतः आज गांधी भी जरूर बदलते। मैं सत्य और अहिंसा के मार्ग से समाधान तक ही गांधी को मानता हूँ।

सोलह नवम्बर से तीस नवम्बर 2014 तक का जन जागरण भ्रमण का विस्तृत कार्यक्रम

60	16.	10सुबह	डा इस्लाम अहमद फारुखी	डा ताराचंद्र वर्मा, कासगंज उ0प्र	कासगंज 9258577867
61	16.	3 शाम	डा इस्लाम अहमद फारुखी	.डा. इस्लाम अहमद काशगंज उ0प्र0	सहावर कासगंज 9719672547
62	17.	10सुबह	बहादुर सिंह यादव ऋषिपाल यादव 9761458520	श्री भागमल यादव, य बदायु उत्तर प्रदेश	उझानी 9717372389
63	17.	3 शाम	बहादुर जी ऋषिपाल जी	रुकम सिंह यादव, सहसवान बदायू	सहसवान 9719323318
64	18.	10सुबह	बहादुर जी ऋषिपाल जी	ऋषिपाल सिंह यादव, उत्तर प्रदेश	बबराला, 9457358226
65	18.	3 शाम	बहादुर जी ऋषिपाल जी	बहादुर सिंह यादव, सम्भल उ0प्र0	धनारी 9761458520
66	19.	9 सुबह	बहादुर जी ऋषिपाल जी	श्री आशिक रजा, गाव+पो0-राजपुर,	मंडी परिसर बहजोई
67	19.	2 शाम	बहादुर जी ऋषिपाल जी	ब्रह्मचारी जी ग्राम-कमालपुर, खानूपुरा,	कमालपुर, खानूपुरा, 9532208249
68	20.	9 सुबह	बहादुर जी ऋषिपाल जी	चौधरी अमर सिंह देवल, -मंडावली, रसूलपुर,	मंडावली
69	20.	3 शाम	बहादुर जी ऋषिपाल जी	विजेन्द्र सिंह यादव,-प्रगती विहार,मुरादाबाद रोड	चंदौसी सम्भल 9761809222
70	21.	9 सुबह	ओम प्रकाश दुबे	एन एम भाटिया, द्वारका नई दिल्ली-75	मुरादाबाद 9818418938
71	21.	3 शाम	अशोक सिरौही हापुड	राम शरण जी,)उधमसिंह नगर उ0खंड	बाजपुर उधमसिंहनगर 9927573474
72	22.	9 सुबह	आचार्य पंकज	श्री प्रताप सिंह, उधमसिंह नगर उ0खंड	दिनेश पुर (रुद्रपुर)9719957008
73	22.	3 शाम	नरेन्द्र सिंह 9012432074	आनंद सिरौही, हलद्वानी उ0खंड	हलद्वानी 8755123199
74	23.	12दोपह	अशोक सिरौही9456418481	आर एस नेगी -अल्मोडा 263601	ताकुला, 9458304559
75	24.	9 सुबह	अशोक सिरौही 9456418481	श्री हेम तिवारी, बागेश्वर उ0खंड,	बाड गांव, बागेश्वर 9412095794
76	24.	3 शाम	विजयशंकर शुक्ल देहरादून	श्री प्रवीण सिंह कोरंगा, -बागेश्वर उ0खंड	कपकोट 9410307919
77	25.	11दोपह	राज नारायण गुप्त	राज नारायण गुप्ता, बरेली उ0प्र0	बरेली 9359496789
78	25.	6 शाम	एड0 ए पी सिंह, दिल्ली		शाहजहां पुर
79	26.	9 सुबह	एड0 ए पी सिंह,9810368152		लखीमपुर
80	26.	4 शाम	ओम प्रकाश जी	ओम प्रकाश प्रकाश बाराबंकी उ0प्र0	बाराबंकी 9838093579
81	27.	9 सुबह	सत्यदेव सत्य 8756331732	कैलाश नारायण तिवारी, फैजाबाद उ0प्र0	रुदौली फैजाबाद
82	27.	4 शाम	चित्रांगद महंत	चित्रांगद महंत (नवीन) द्वारा गोन्डा उ0प्र0	गोण्डा 9454283012
83	28.	9 सुबह	रमेश चौबे8435023029	संतोष कुमार पाल, संतकबीर नगर	खलीलाबाद 7275362899
84	28.	3 शाम	रमेश चौबे	राम उपाध्याय,, सहजनवा, गोरखपुर उ0प्र	सहजनवा,
85	29.	9 सुबह	ओम प्रकाश दुबे	भूपेन्द्र पांडेय,, खडडा कुशी नगर उ0प्र0	खडडा पडरौना 9648589032
86	29.	3 शाम	रमेश चौबे	राम प्रताप यादव, कुशीनगर उ0प्र0	सिकटा, कुशीनगर
87	30.	9 सुबह	उमाशंकर यादव	उमाशंकर यादव पुत्र - कुशीनगर	कप्तानगंज 9451473510
88	30.	3 शाम	आचार्य पंकज	5622 ,श्री चन्द्रिका चौरसिया, देवरिया	देवरिया